न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 18/2025

अपीलांट्स –

1. तेजाराम पुत्र चेनाराम
2. चुतराराम पुत्र चेनाराम
3. जोराराम पुत्र चेनाराम
4. भैराराम पुत्र चेनाराम
5. अमरराम पुत्र देदाराम
6. नारणाराम पुत्र देदाराम
7. पेमाराम पुत्र देदाराम
8. फूसाराम पुत्र देदाराम
9. बनाराम पुत्र देदाराम
10. सरदाराराम पुत्र देदाराम
11. रूपाराम पुत्र पदमाराम
12. भंवराराम पुत्र डूंगराराम
13. मानी पत्नि डूंगराराम
14. रामाराम पुत्र डुंगराराम
15. केसी पत्नि अमराराम जाति जाट निवासी गोमरख धाम (तारातरा मठ) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
तहसीलदार चौहटन

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 3410–11 दिनांक 23.09.2019 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री रतनाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पो0 सं. 1 प्रर्फोमा पक्षकार।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:47:32 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक : 02.07.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 3410–11 दिनांक 23.09.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा तारातरा मठ में मूल खेत खसरा संख्या 225, 226 रकबा 16—08 बीघा, मौजा गोमरखधाम मे खेत खसरा नंबर 60, 93, 135, 137 रकबा 46—02 बीघा एवं मौजा सांवलोर मे खेत खसरा नंबर 124 रकबा 46—09 बीघा भूमि खातेदारान तेजा जोरा चुतरा भेरा पि. चेना, नारणाराम अमराराम फूसाराम सरदाराराम वनाराम पेमाराम पि. देदाराम, रूपा पुत्र पदमा, रामाराम भंवराराम पि. डुंगराराम, मानी देवी पत्नी डुगराराम, केसी पत्नी अमराराम कौम जाट निवासी तारातरा मठ तहसील चौहटन के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 17.09.2019 को प्रार्थना—पत्र पेश कर प्रार्थना—पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी तारातरामठ की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार चौहटन द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 3410—11 दिनांक 23.09.2019 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.03.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि अपीलांट्स पैतृक संयुक्त खोतदारी भूमि मौजा तारातरा मठ में मूल खेत खसरा संख्या 225, 226 रकबा 16—08 बीघा, मौजा गोमरखधाम मे खेत खसरा नंबर 60, 93, 135, 137 रकबा 46—02 बीघा एवं मौजा सांवलोर मे खेत खसरा नंबर 124 रकबा 46—09 बीघा भूमि आई हुई है। अपीलांट्स को वादग्रस्त खेत मे पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व मे किये गये बाहामी बंटवाडा अनुसार विभाजिन करने व पक्षकारान का पृथक—पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा। जिस पर सभी अपीलांट्स ने सहमति देकर पटवारी हल्का से मिलकर विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा अनुसार तैयार करने को कहा, तथा इसी अनुसार खेतों मे लाईन डालकर विभाजन किया जावे, जिस पर पटवारी हलका ने समस्त खेतों मे विभाजन रेखा डालकर नक्शा तैयार किया। हल्का पटवारी द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव, नक्शे व जमाबंदी पर अपीलांट्स द्वारा अंगुष्ठ निशान एवं हस्ताक्षर कर हल्का पटवारी की उपस्थिति मे विभाजन [illegible] दिये जिस पर उतरदाता संख्या 1 द्वारा उक्त आदेश पारित किया गया [illegible] योग्य है। अपीलांट्स के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जा काश्त अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा—काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:47:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि कुछ अर्सा पूर्व जब अपीलांट्स अपने हिस्से की भूमि की हलका पटवारी से पैमाईश करवाई तो अपीलांट्स के मौके पर कब्जा काश्त व नक्शे की तरमीम मे भारी भिन्नता होना बताया। जिस पर अपीलांट्स को अपने हक संशयप्रद लगे तब अपीलांट ने उक्त सहमति विभाजन की तहसीलदार चौहटन नकलें मांगी जो नकले अपीलांट्स को दिनांक 17.03.2025 को प्राप्त हुई। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा तारातरा मठ में मूल खेत खसरा संख्या 225, 226 रकबा 16–08 बीघा, मौजा गोमरखधाम मे खेत खसरा नंबर 60, 93, 135, 137 रकबा 46–02 बीघा एवं मौजा सांवलोर मे खेत खसरा नंबर 124 रकबा 46–09 बीघा भूमि खातेदारान तेजा जोरा चुतरा भेरा पि. चेना, नारणाराम अमराराम फूसाराम सरदाराराम वनाराम पेमाराम पि. देदाराम, रूपा पुत्र पदमा, रामाराम भंवराराम पि. डुंगराराम, मानी देवी पत्नी डुगराराम, केसी पत्नी अमराराम कौम जाट निवासी तारातरा मठ तहसील चौहटन के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 17.09.2019 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी तारातरामठ की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार चौहटन द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 3410–11 दिनांक 23.09.2019 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.03.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अपीलाधीन विभाजन मौके पर भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास के अनुसार नहीं किया गया। जिससे अपीलांट्स की ढाणी, बाडे इत्यादि एक–दूसरे के हिस्से मे चली गई। पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवाडे अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जे काश्त में भारी भिन्नता है। जिस कारण अपीलांट की ढाणी, बाडे इत्यादि एक–दूसरे के कब्जे मे चले गये है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट्स के मुख्य रूप से प्रकट किया गया हैं कि अपीलांट्स की पृथक–पृथक ढाणी, बाडे इत्यादि बने हुए है तथा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से अपीलांट्स के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:47:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटनेच द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 3410–11 दिनांक 23.09.2019 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार चौहटन को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 02.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:47:32 IST
Reason: SelfAttested